जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 05.01.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1496 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1496 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत सिसवा फतेउल्लाह से व्यक्ति कालर द्वारा दो पक्षो के मारपीट विवाद में (01.बासुदेव पुत्र मुनेश्वर निवासी सिसवा फतेउल्लाह थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घयल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीठ विवाद में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी। ***पीआरवी स्टाफ-* आ0 सत्येन्द्र मद्धेशिया, आ0 गौतम कुमार, हो0चा0 शिवकुमार गौंड ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 167 वाहनों से 2,11,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 167 वाहनों से 2,11,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे “साथ-साथ कार्यक्रम” के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 03 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में चलाये जा रहे **'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोडने की एक पहल)** का आयोजन में आज दिनांक **05.01.2025 को** परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर **थानाध्यक्ष पूनम मौर्या एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी** के अध्यक्षता में **03** मामला आया । जिसमें सुलह समझौता करवाया गया ।

1.**प्रथम पक्ष –** माया पत्नी राकेश निवासी लक्ष्मीपुर थाना कैंम्पियरगंज जनपद गोरखपुर।
द्वितीय पक्ष – राकेश कुमार पुत्र विश्वनाथ निवासी लक्ष्मीपुर थाना कैंम्पियरगंज जनपद गोरखपुर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

2.**प्रथम पक्ष –** प्रियंका पत्नी महेश निवासी ससना थाना मुण्डेरवा जनपद-बस्ती।
द्वितीय पक्ष – महेश गुप्ता निवासी ससना थाना-मुण्डेरवा जनपद-बस्ती के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

3. **प्रथम पक्ष –** हाफिजा खातून पत्नी इरसाद निवासी हरदी थाना बखिरा जनपद-संतकबीरनगर।
द्वितीय पक्ष – इरसाद पुत्र मजिबुल्लाह निवासी हरदी थाना बखिरा जनपद-संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 10 स्थानो पर लगवाये गये 41 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 05.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 10 स्थानो पर 41 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 04 स्थानो पर 19 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानो पर 10 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 03 स्थानो पर 08 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियो को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।